भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 383**
22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

**विषय: पीएमएफबीवाई के तहत लाभान्वित किसान**

**383. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकरः**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत अब तक कितने किसान लाभान्वित हुए हैं;
(ख) महाराष्ट्र राज्य के संबंध में विशिष्ट ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को बीमा कंपनियों द्वारा दावों के निपटान में देरी के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;
(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार किसानों को अधिक सटीक और समय पर मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए कोई तकनीकी उपाय अपना रही है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

**(क) से (ङ):** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.) देश में खरीफ 2016 सीज़न से आरंभ की गई थी। यह योजना राज्यों और किसानों के लिए स्वैच्छिक है। वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के दौरान नामांकित किसान आवेदनों की संख्या और दावा प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

| वर्ष | नामांकित किसानों के आवेदनों की संख्या (लाख में) | दावा प्राप्त करने वाले किसान आवेदनों की संख्या (करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|
| 2022-23 | 1,120 | 334 |
| 2023-24 | 1,434 | 376 |

महाराष्ट्र के संबंध में विशिष्ट विवरण निम्नानुसार है:

| वर्ष | नामांकित किसानों के आवेदनों की संख्या (लाख में) | दावा प्राप्त करने वाले किसान आवेदनों की संख्या (करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|
| 2022-23 | 107 | 76 |
| 2023-24 | 242 | 132 |

बीमा मॉडल का चयन, पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से बीमा कंपनियों का चयन, किसानों का नामांकन, स्वीकार्य दावों की गणना हेतु फसल उपज/फसल नुकसान का आकलन जैसे सभी प्रमुख कार्य संबंधित राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों और संबंधित बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा किए जा रहे हैं। योजना के समुचित क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक स्टेकहोल्डर की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ योजना के परिचालन दिशा-निर्देशों में परिभाषित की गई हैं।

अधिकांश दावों का निपटान योजना के परिचालन दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित समय-सीमा अर्थात बीमा कंपनियों द्वारा संबंधित राज्य सरकार से अपेक्षित उपज के आंकड़े प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर किया जाता है। हालाँकि, पी.एम.एफ.बी.वाई. के कार्यान्वयन के दौरान, दावों के भुगतान के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जो मुख्य रूप से **(क) राज्य सरकार के सब्सिडी हिस्से को प्रदान करने में विलंब (ख) बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/विलंब से प्रस्तुत करने के कारण भुगतान न करना/विलंबित भुगतान या दावों का कम भुगतान (ग) उपज के आंकड़ों में विसंगति व इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद आदि** हैं। योजना के प्रावधानों के अनुसार इन समस्याओं के कारण लंबित दावों का निपटान उनके समाधान के बाद किया जाता है।

सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन को मजबूत करने, पारदर्शिता लाने और दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं:

- सरकार ने सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना का प्रसार और किसानों के प्रत्यक्ष ऑनलाइन नामांकन सहित सर्विस डिलीवरी, बेहतर निगरानी के लिए इंडिविजुअल बीमित किसानों के विवरण अपलोड/प्राप्त करने और इंडिविजुअल किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि का अंतरण सुनिश्चित करने के लिए आंकड़ों के एकल स्रोत के रूप में **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एन.सी.आई.पी.)** का विकास किया है।
- दावा वितरण प्रक्रिया की सख्त निगरानी के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान हेतु **'डिजिक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक समर्पित मॉड्यूल चालू किया गया है। इसमें राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एन.सी.आई.पी.) को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है ताकि खरीफ 2024 से सभी दावों का समय पर और पारदर्शी रूप से प्रोसेसिंग सुनिश्चित की जा सके। यदि बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो 12% का जुर्माना स्वतः गणना करके एन.सी.आई.पी. के माध्यम से लगाया जाएगा।

- प्रीमियम सब्सिडी में केन्द्र सरकार के शेयर को राज्य सरकारों के शेयर से अलग कर दिया गया है, ताकि किसानों को केन्द्र सरकार के शेयर से संबंधित आनुपातिक दावे मिल सकें।
- योजना के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने प्रीमियम हिस्से को अग्रिम रूप से जमा करने के लिए एस्क्रो (ESCROW) खाता खोलना खरीफ 2025 सीजन से अनिवार्य कर दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, **सीसीई-एग्री ऐप** के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) डेटा को कैप्चर करना और इसे एन.सी.आई.पी. पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को सीसीई के संचालन को देखने की अनुमति देना, एन.सी.आई.पी. के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड को एकीकृत करना आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं ताकि किसानों के दावों का समय पर निपटान हो सके।
- बीमा कंपनी द्वारा दावों के भुगतान में विलंब पर 12% जुर्माने का प्रावधान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एन.सी.आई.पी.) पर स्वतः गणना किया जाता है।

फसल क्षति का वास्तविक मूल्यांकन, नुकसान का आकलन, पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा स्थानीय स्तर पर मौसम संबंधी डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित तकनीकों को वर्ष 2023-24 से योजना के अंतर्गत कार्यान्वित किया गया है:

i. **यस-टेक (यील्ड एस्टीमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नालॉजी)** का उद्देश्य उपज का मूल्यांकन करने के लिए रिमोट सेंसिंग आधारित प्रणाली की ओर क्रमिक रूप से स्थानांतरण करना है, जिससे फसल उपज का निष्पक्ष और सटीक आकलन सुनिश्चित किया जा सके। यह पहल खरीफ 2023 से धान और गेहूं की फसलों के लिए शुरू की गई है, जिसमें उपज आकलन में यस-टेक से प्राप्त उपज को अनिवार्य रूप से 30% वेटेज दिया जाएगा। खरीफ 2024 से सोयाबीन फसल को भी इस प्रणाली में शामिल किया गया है।

ii. **विंड्स (वेदर इन्फार्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम)** के अंतर्गत स्वचालित मौसम केंद्रों (ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन- एडबल्यूएस) और स्वचालित वर्षा मापक यंत्रों (ऑटोमेटिक रेन-गेज-एआरजी) का एक नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है, जो मौजूदा नेटवर्क की तुलना में पाँच गुना अधिक होगा। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर पूर्ण रूप से स्थानीय (हाइपर लोकल) मौसम डेटा एकत्र करना है। यह डेटा एक राष्ट्रीय डेटाबेस में समाहित किया जाएगा, जिसमें भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के साथ समन्वय में इंटरऑपरेबिलिटी और डेटा साझा करने की व्यवस्था होगी। विंड्स प्रणाली न केवल यस-टेक के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करती है, बल्कि यह सूखा और आपदा प्रबंधन, सटीक मौसम पूर्वानुमान, और बेहतर पैरामीट्रिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट की पेशकश के लिए भी उपयोगी है।

विभाग सभी स्टेकहोल्डर्स की साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस, वन-टू-वन मीटिंग और राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलनों के माध्यम से दावों के समय पर निपटान सहित बीमा कंपनियों के कामकाज की नियमित निगरानी कर रहा है।

*****